निर्णय 08.7.2024

2024/396

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

रामप्रसाद बनाम नारायण आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट — प्रकरण संख्या 291 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
27.06.2024	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 08.07.2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
02.7.2024	वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र मिसल पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वकलाए फरीकेन उपस्थित। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ने हाजिर अदालत आकर राजीनामा पेश किया। जिसे बाद तस्दीक शामिल फाईल किया गया। स्टेट जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली वास्ते बहस आईन्दा तारीख 8.07.2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	रामप्रताप (?) नारायणदास (?) विरमान (?) अ.नि. इन्द्राजी (?) मुख्तार मैना देवी
08.07.2024	वकलाए फरीकेन उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व वादी प्रतिवादी के राजीनामा के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया जाकर [illegible] नकल के बाद [illegible] जाकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	पं. चान्द वासी (?) कुलदीप बिश्नोई (?) [illegible] प. शर्मा (?) प्रतिवादीगण Kamal

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.07.22 10:19:38 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या :– 291/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट
रामप्रसाद पुत्र नारायण जाति ब्राहम्ण निवासी कल्लासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

–वादी

बनाम

1. नारायण पुत्र लाभूराम जाति ब्राहम्ण निवासी कल्लासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
2. विरमान पुत्र नारायण जाति ब्राहम्ण निवासी कल्लासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
3. दुर्गा देवी पुत्री नारायण पत्नी गडसी रामजाति ब्राहम्ण निवासी भोजूसर उपाधियान तहसील सरदारशहर जिला चुरू राज0।
4. मुकुट पुत्री नारायण पत्नी रोहिताश जाति ब्राहम्ण निवासी बरमसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़ राज0।
5. मैना देवी पुत्री नारायण पत्नी धर्म पाल जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं0 3 सुरतगढ़ तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये पेरोकार राज तहसीलदार (राजस्व) पल्लू जिला हनुमानगढ़।

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री कुलदीप बिश्नोई वकील–वादी
श्री करणीसिंह वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 5
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 6
निर्णय दिनांक– 08.07.2024

यह राजस्व मुकद्दमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है किः–

1. ग्राम कल्लासर के खाता संख्या नया 204 पुराना 356 के खसरा संख्या 246 की 2.6300 है0, खसरा संख्या 248 की 1.8340है0, खसरा संख्या 249/2 की 0.2530है0, खसरा संख्या 258/2 की 7.4610है0, खसरा संख्या 398 की 1.1630है0 कुल 13.3410है0 बारानी भूमि मे से 2657/13341 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है जिसमे से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम नारायणराम पुत्र लाभूराम को कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।
2. कल्लासर के खाता संख्या नया 166 पुराना 150 के खसरा संख्या 249/1 की 0.7590है0, खसरा संख्या 257 की 0.4170है0, खसरा संख्या 258/1 की 5.3620है0, खसरा संख्या 259 की 1.0370है0 कुल 7.5750है0 बारानी भूमि मे से 503/1515 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है जिसमे से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम नारायण पुत्र लाभूराम को कलमजन कर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें। आज यह पर्चा डिकी हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 08.7.2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.07.22 10:19:38 IST
Reason: SelfAttested

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर